भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1784
उत्तर देने की तारीख: 02.03.2020
अग्रणी योजना

1784. श्री इंद्रा हांग सुब्बाः

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मेकर विलेज उद्यमिता और नवीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए अग्रणी योजनाएं शुरू कर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए आई सी टी ई) के साथ सहयोजित होने की योजना बना रहा है; और

(ख) क्या ए॰आई॰सी॰टी॰ई॰ विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं पर आधरित अनुमोदित संस्थानों की एक सूची रखता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

(घ) क्या इस सूची में (264) तकनीकी और (116) वास्तुकला संस्थान शामिल है; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसे फर्जी संस्थानों के निर्माण पर नियंत्रण हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे है?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्री
(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क): जी हां। केरल के मेकर विलेज ने सहयोग के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) से सम्पर्क किया है।

(ख) से (घ): एआईसीटीई ने अपनी वेबसाइट पर गैर-अनुमोदित तकनीकी संस्थाओं (264) की राज्यवार सूची दी है। इस सूची को एआईसीटीई की वेबसाइट **https:/ / facilities.aicte-india.org/dashboard/pages/angulardashboard. phpW#!/unapproved.** पर देखा जा सकता है। इस सूची में कोई वास्तुकला संस्थान नहीं है।

(ङ): गैर-अनुमोदित संस्थाओं पर रोक लगाने के लिए, एआईसीटीई ऐसे संस्थानों को सार्वजनिक नोटिस और अलग-अलग पत्र भेजता है कि वे तकनीकी शिक्षा चलाने के लिए एआईसीटीई का अनुमोदन प्राप्त करें या इसे बन्द कर दें। संबंधित राज्य सरकारों को भी ऐसे संस्थानों के विरूद्ध समुचित कार्रवाई करने की सलाह दी गई है। यदि कोई गैर-अनुमोदित संस्थान एआईसीटीई को अनुमोदन हेतु आवेदन करता है, तो उसे एक नया तकनीकी संस्थान माना जाता है और आवेदन पर एआईसीटीई अनुमोदन प्रक्रिया हैंड बुक के संगत प्रावधानों के अनुसार प्रक्रिया की जाती है।

*****